न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

किo मीo वाद संo–216 / 2017

मदन मरांडी बनाम सीताराम किस्कू वगैo

धारा 144 दo प्रo सo

1	2	3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
17/8/17	**आदेश** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, मसलिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एंव अन्य लेखात्मक साक्ष्यो का अवलोकन किया। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि मसलिया थाना अंतर्गत मौजा मनोहरचक के जमाबंदी संo 15/34 दाग संo 1066, 1060, 1063, 1086 अंश, 1086 अंश, 1197, 1196,1196 अंश, 1197 अंश, 1239, 1203, एंव 1223 अंश रकवा एंव चौहददी आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में अंकित है, स्थित भुमि पर जोत आवाद एवं दखल कब्जा को लेकर पक्षकारो के बीच तनाव बना हुआ है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर मै अधाहस्ताक्षरी अनुमंडल दंडाधिकारी, दुमका दoप्रoसo की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उभय पक्ष को उक्त विवादित भूमि पर जाने से रोकता हूँ तथा उक्त धारान्तर्गत प्रक्रिया निर्गत करते हुए दोनो पक्षो को आदेश देता हूँ कि दिनांक 19.9.17 को 10.00 बजे पूर्वाo अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यो नही जारी निषेधाज्ञा संबंधित पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक .... को रखें। लेखापित एवं संशोधित। [signature] अनु0दण्डा0 दुमका। [signature] 17.8.17 अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका।	[signature] 5/9/17
19/9/17	प्रथम पक्ष की हाजरी है विपक्षी की हाजरी है 8/1 अनुपालन दि० 3/10/17 को पेश [signature]	